न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : महीपाल सिंह आर0ए0एस0

नम्बर व त
अहकाम जो
हुक्म की त
में जारी हु

रण संख्या : 113/2019 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री बंशीलाल सुथार निवासी आमली तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

--प्रार्थीया

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्री रामचन्द्र सुथार (खाती) निवासी आमली तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. मदनलाल पुत्र पुत्र श्री रामचन्द्र सुथार (खाती) निवासी आमली तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भारतीय स्टेट बैक शाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

----------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित -

1. श्री अरूणचन्द्र देराश्री (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 21-01-21

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 11.07.2019 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पेश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बनेडा पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 5647/2818 , 5648/22818 भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी-पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 2816 , 2817 के मेर के सहारे-सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाडा)

दिनांक 10.08.2020 को प्रकरण में हल्का पटवारी बनेडा द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, एंव जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये।

अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की और के.के. जीनगर द्वारा अधिकार प्रस्तुत कर रखा है जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया गया है । प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा बनेडा की आराजी नं. 2816 रकबा 5–05 बीघा मे से 0–01 बीघा एंव आराजी नम्बर 2817 रकबा 3–13 बीघा मे से 0–05 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी बबराणा की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है जो निम्न है –

1. अप्रार्थीगणो के अनुसार प्रार्थीया ग्राम आमल की निजी खातेदारी भूमि से होकर अपने खेत पर पहुंचती थी । जिसकी दूरी 300 मीटर से अधिक है ।
2. प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षी गण की ग्राम बनेडा की आराजी नं. 2816 एंव 2817 के सहारे सहारे 15 फीट नया रास्ता देने के लिए ग्राम बनेडा की निजी खातेदारी आराजी नम्बर 2816 रकबा 5–05 बीघा मे से 0–01 बीघा एंव आराजी नम्बर 2817 रकबा 3–13 बीघा मे से 0–05 बीघा रकबा 3–13 बीघा मे से 0–05 बीघा उपयोग मे आयेगी ।
3. उक्तानुसार प्रार्थीया के खेत तक पहुचेन के लिए रास्ते की दुरी 175 मीटर है इसके अलावा न्यूनतम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नही है ।
4. प्रकरण मे ग्राम बनेडा के बिलानाम आराजी 2818 रकबा 1–15 बीघा किस्म गैमु. नाली मे 0–01 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है ।
5. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि प्रचलित डीएलसी दर 32787/– प्रति बीघा से 0–07 बीघा भूमि की मालियत 11476/– रूपये बनती है ।
6. प्रकरण मे बिलानाम भूमि की किस्म गैमु. नाली होने से अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण मे माननीय न्यायालयो के आदेशो के विपरीत है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 1039 , 974 मे से रास्ता चाहा गया व तहसीलदार रिर्पोट के अनुसार 2816 , 2817 , 2818 मे से रास्ते हेतू प्रस्तावित हुई है जबकि प्रार्थी द्वारा 2816 , 2817 मे से 15 फिट का रास्ता चाहा गया था । परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा बनेडा की आराजी नं. 2816 रकबा 5–05 बीघा मे से 0–01 बीघा एंव आराजी नम्बर 2817 रकबा 3–13 बीघा मे से 0–05 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है । उक्त प्रस्तावित भूमि की डीएलसी 0–06 बीघा की 9837/– रूपये बनती है ।

उपखण्ड अधिकारी

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मौजा बनेडा की आराजी नं. 2816 रकबा 5–05 बीघा मे से 0–01 बीघा एंव आराजी नम्बर 2817 रकबा 3–13 बीघा मे से 0–05 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है । पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त 0–06 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी बनेडा के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा बनेडा पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा स्थित 5647/2818 , 5648/2818 मे पहुंचने हेतू ग्राम बनेडा की आराजी नं. 2816 रकबा 5–05 बीघा मे से 0–01 बीघा एंव आराजी नम्बर 2817 रकबा 3–13 बीघा मे से 0–05 बीघा भूमि मुताबिक रास्ता 15 फीट चौंडा कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0.06 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा